डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :– संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेशों से उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन कर आरक्षण कानून बनाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार निवेदन है–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 जज पीठ द्वारा दिनांक 16.9.1992 को इन्द्रा साहनी प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं होने के आदेश को अप्रभावी करने एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिको के हितों की रक्षा करने के लिए 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिनांक 17.6.1995 को संविधान में पदौन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नया अनुच्छेद 16(4ए) केन्द्र में रही पी.वी.नरसिम्हा राव सरकार ने जुडवाया।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 जज पीठ दिनांक 10.10.95 को वीर पाल सिंह चौहान प्रकरण, दिनांक 1.3.1996 को 3 जज पीठ द्वारा अजीतसिंह जानूजा प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली वरिष्ठता को रोके जाने के सम्बन्ध में स्थापित कैच–अप रूल को समाप्त करने के लिए केन्द्र में रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2002 को 85 वां संविधान संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में पदौन्नति के साथ पारिणामिक वरिष्ठता दिये जाने का प्रावधान में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण दिये जाने का प्रावधान भीं दिनांक 17.6.1995 से कर दिया क्योंकि दिनांक 17.6.1995 से पूर्व तो पदौन्नति में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों एवं

जनजातियों को दिया ही जा रहा था व इस दिनांक के पश्चात् दिनांक 4.1.2002 तक 77वें संविधान संशोधन के अनुसार पदौन्नति में आरक्षण दिये जाकर जो परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है, उसे बरकरार रखा जाकर इन आरक्षित वर्गो की हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

1. देश के अनेक राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के, वर्तमान में दिनांक 17.6.1995 से विद्यमान अनुच्छेद 16(4ए) व राज्यों के विभिन्न सेवा संवर्गो के नियमों की भिन्न–भिन्न रूप से व्याख्या कर 17 वर्षो से इन आरक्षित वर्गो के राजकीय कार्मिको की पदौन्नति में बाधाऐं खडी की जा रही है तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों आदि को अवमानना के प्रकरणों से अनावश्यक रूप से मुखातिब होने की स्थितियां पैदा की जा रही है।

2. चूंकि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां राष्ट्र की जनता में शामिल है तथा इन्द्रा साहनी प्रकरण में दिनांक 16.9.1992 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रमाणित माना है कि भारत की जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुदाय सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए रहें है तथा संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं 342 में अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित कर संविधान की अनुसूचियों में अनुसूचित कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में इन आरक्षित वर्गो को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4ए) में इन वर्गो को समानता के अधिकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों को छूट प्रदन कर रखी है।

3. बिन्दु सं. 1 से 4 में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यह आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भरोसे संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों को समय पर लाभ मिल सकें, का सुनिश्चय करने के लिए एक औार संविधान संशोधन लाकर आरक्षण कानून बनाया जावे। आरक्षण के प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान दिया जावें तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को राज्य सरकार की जनता के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने से रोका जा सकें। जब तक संविधान संशोधन की व्यवस्था उक्त संदर्भ में ना हो सकें तब तक संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश लाया जाकर तत्काल उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) को लागू करने में बाधाऐं खडी करने से रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियां व जनजातियां आज भी पिछडी हुई है किंचित लोग ही समाज की मुख्य धारा से जुडे है अतः देश में समानता व राष्ट्रीय अखण्डता के लिए आरक्षण जारी रखना आज भी महती आवश्यकता है। अतः विषयांकित निवेदन तत्काल स्वीकार किया जाकर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण में दिये गये निर्णय जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदौन्नति में आरक्षण दिये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान करने के लिए इन जातियों का पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता के सम्बन्ध में आंकडे एकत्रित करने की शर्त को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधरन लाया जावें क्योकि जिस तरह से सीधी भर्ती के लिए पृथक से संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 335 के अनुसार कोई आंकडे एकत्रित नहीं किये जाते है उसी प्रकार पदौन्नति भी एक प्रकार की भर्ती है और इसमें भी अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों का सीधी भर्ती की वेतन श्रृंखला के बाद की उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में उनको देय आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना मात्र ही है।

भवदीय

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

1. श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
2. श्री सलमान खुर्शीद, माननीय विधि मंत्री, भारत सरकार
3. श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार
4. श्री नारायण स्वामी, माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग, भारत सरकार
5. श्री पी. एल. पूनियां, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार
6. श्री रामेश्वर लाल, माननीय राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
7. श्री नमोनारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार
8. माननीय सांसद महोदय, ————————————————————

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

श्रीमति सोनिया गाँधी
माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष,
कॉंग्रेस ।

विषय :– संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेशों से उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन कर आरक्षण कानून बनाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार निवेदन है–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 जज पीठ द्वारा दिनांक 16.9.1992 को इन्द्रा साहनी प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं होने के आदेश को अप्रभावी करने एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिको के हितों की रक्षा करने के लिए 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिनांक 17.6.1995 को संविधान में पदौन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नया अनुच्छेद 16(4ए) केन्द्र में रही पी.वी.नरसिम्हा राव सरकार ने जुडवाया।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 जज पीठ दिनांक 10.10.95 को वीर पाल सिंह चौहान प्रकरण, दिनांक 1.3.1996 को 3 जज पीठ द्वारा अजीतसिंह जानूजा प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली वरिष्ठता को रोके जाने के सम्बन्ध में स्थापित कैच–अप रूल को समाप्त करने के लिए केन्द्र में रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2002 को 85 वां संविधान संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में पदौन्नति के साथ पारिणामिक वरिष्ठता दिये जाने का प्रावधान में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण दिये जाने का प्रावधान भीं दिनांक 17.6.1995 से कर दिया क्योंकि दिनांक 17.6.1995 से पूर्व तो पदौन्नति में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों एवं

जनजातियों को दिया ही जा रहा था व इस दिनांक के पश्चात् दिनांक 4.1.2002 तक 77वें संविधान संशोधन के अनुसार पदौन्नति में आरक्षण दिये जाकर जो परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है, उसे बरकरार रखा जाकर इन आरक्षित वर्गो की हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

4. देश के अनेक राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के, वर्तमान में दिनांक 17.6.1995 से विद्यमान अनुच्छेद 16(4ए) व राज्यों के विभिन्न सेवा संवर्गो के नियमों की भिन्न–भिन्न रूप से व्याख्या कर 17 वर्षो से इन आरक्षित वर्गो के राजकीय कार्मिको की पदौन्नति में बाधाऐं खडी की जा रही है तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों आदि को अवमानना के प्रकरणों से अनावश्यक रूप से मुखातिब होने की स्थितियां पैदा की जा रही है।

5. चूंकि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां राष्ट्र की जनता में शामिल है तथा इन्द्रा साहनी प्रकरण में दिनांक 16.9.1992 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रमाणित माना है कि भारत की जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुदाय सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए रहें है तथा संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं 342 में अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित कर संविधान की अनुसूचियों में अनुसूचित कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में इन आरक्षित वर्गो को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4ए) में इन वर्गो को समानता के अधिकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों को छूट प्रदन कर रखी है।

6. बिन्दु सं. 1 से 4 में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यह आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भरोसे संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों को समय पर लाभ मिल सकें, का सुनिश्चय करने के लिए एक औार संविधान संशोधन लाकर आरक्षण कानून बनाया जावे। आरक्षण के प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान दिया जावें तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को राज्य सरकार की जनता के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने से रोका जा सकें। जब तक संविधान संशोधन की व्यवस्था उक्त संदर्भ में ना हो सकें तब तक संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश लाया जाकर तत्काल उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) को लागू करने में बाधाऐं खडी करने से रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियां व जनजातियां आज भी पिछडी हुई है किंचित लोग ही समाज की मुख्य धारा से जुडे है अतः देश में समानता व राष्ट्रीय अखण्डता के लिए आरक्षण जारी रखना आज भी महती आवश्यकता है। अतः विषयांकित निवेदन तत्काल स्वीकार किया जाकर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण में दिये गये निर्णय जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदौन्नति में आरक्षण दिये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान करने के लिए इन जातियों का पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता के सम्बन्ध में आंकडे एकत्रित करने की शर्त को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधरन लाया जावें क्योकि जिस तरह से सीधी भर्ती के लिए पृथक से संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 335 के अनुसार कोई आंकडे एकत्रित नहीं किये जाते है उसी प्रकार पदौन्नति भी एक प्रकार की भर्ती है और इसमें भी अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों का सीधी भर्ती की वेतन श्रृंखला के बाद की उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में उनको देय आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना मात्र ही है।

भवदीय

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

1. श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
2. श्री सलमान खुर्शीद, माननीय विधि मंत्री, भारत सरकार
3. श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार
4. श्री नारायण स्वामी, माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग, भारत सरकार
5. श्री पी. एल. पूनियां, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार
6. श्री रामेश्वर लाल, माननीय राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
7. श्री नमोनारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार
8. माननीय सांसद महोदय, ————————————————————

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

श्रीमति मीरा कुमार
माननीया अध्यक्ष,
लोकसभा ।

विषय :– संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेशों से उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन कर आरक्षण कानून बनाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार निवेदन है–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 जज पीठ द्वारा दिनांक 16.9.1992 को इन्द्रा साहनी प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं होने के आदेश को अप्रभावी करने एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिको के हितों की रक्षा करने के लिए 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिनांक 17.6.1995 को संविधान में पदौन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नया अनुच्छेद 16(4ए) केन्द्र में रही पी.वी.नरसिम्हा राव सरकार ने जुडवाया।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 जज पीठ दिनांक 10.10.95 को वीर पाल सिंह चौहान प्रकरण, दिनांक 1.3.1996 को 3 जज पीठ द्वारा अजीतसिंह जानूजा प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली वरिष्ठता को रोके जाने के सम्बन्ध में स्थापित कैच–अप रूल को समाप्त करने के लिए केन्द्र में रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2002 को 85 वां संविधान संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में पदौन्नति के साथ पारिणामिक वरिष्ठता दिये जाने का प्रावधान में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण दिये जाने का प्रावधान भीं दिनांक 17.6.1995 से कर दिया क्योंकि दिनांक 17.6.1995 से पूर्व तो पदौन्नति में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों एवं

जनजातियों को दिया ही जा रहा था व इस दिनांक के पश्चात् दिनांक 4.1.2002 तक 77वें संविधान संशोधन के अनुसार पदौन्नति में आरक्षण दिये जाकर जो परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है, उसे बरकरार रखा जाकर इन आरक्षित वर्गो की हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

7. देश के अनेक राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के, वर्तमान में दिनांक 17.6.1995 से विद्यमान अनुच्छेद 16(4ए) व राज्यों के विभिन्न सेवा संवर्गो के नियमों की भिन्न–भिन्न रूप से व्याख्या कर 17 वर्षो से इन आरक्षित वर्गो के राजकीय कार्मिको की पदौन्नति में बाधाऐं खडी की जा रही है तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों आदि को अवमानना के प्रकरणों से अनावश्यक रूप से मुखातिब होने की स्थितियां पैदा की जा रही है।

8. चूंकि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां राष्ट्र की जनता में शामिल है तथा इन्द्रा साहनी प्रकरण में दिनांक 16.9.1992 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रमाणित माना है कि भारत की जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुदाय सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए रहें है तथा संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं 342 में अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित कर संविधान की अनुसूचियों में अनुसूचित कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में इन आरक्षित वर्गो को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4ए) में इन वर्गो को समानता के अधिकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों को छूट प्रदन कर रखी है।

9. बिन्दु सं. 1 से 4 में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यह आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भरोसे संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों को समय पर लाभ मिल सकें, का सुनिश्चय करने के लिए एक औार संविधान संशोधन लाकर आरक्षण कानून बनाया जावे। आरक्षण के प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान दिया जावें तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को राज्य सरकार की जनता के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने से रोका जा सकें। जब तक संविधान संशोधन की व्यवस्था उक्त संदर्भ में ना हो सकें तब तक संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश लाया जाकर तत्काल उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) को लागू करने में बाधाऐं खडी करने से रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियां व जनजातियां आज भी पिछडी हुई है किंचित लोग ही समाज की मुख्य धारा से जुडे है अतः देश में समानता व राष्ट्रीय अखण्डता के लिए आरक्षण जारी रखना आज भी महती आवश्यकता है। अतः विषयांकित निवेदन तत्काल स्वीकार किया जाकर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण में दिये गये निर्णय जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदौन्नति में आरक्षण दिये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान करने के लिए इन जातियों का पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता के सम्बन्ध में आंकडे एकत्रित करने की शर्त को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधरन लाया जावें क्योकि जिस तरह से सीधी भर्ती के लिए पृथक से संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 335 के अनुसार कोई आंकडे एकत्रित नहीं किये जाते है उसी प्रकार पदौन्नति भी एक प्रकार की भर्ती है और इसमें भी अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों का सीधी भर्ती की वेतन श्रृंखला के बाद की उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में उनको देय आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना मात्र ही है।

भवदीय

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

1. श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
2. श्री सलमान खुर्शीद, माननीय विधि मंत्री, भारत सरकार
3. श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार
4. श्री नारायण स्वामी, माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग, भारत सरकार
5. श्री पी. एल. पूनियां, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार
6. श्री रामेश्वर लाल, माननीय राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
7. श्री नमोनारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार
8. माननीय सांसद महोदय, ————————————————————

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

श्री राहुल गाँधी जी,
राष्ट्रीय महासचिव
कॉंग्रेस

विषय :– संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेशों से उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन कर आरक्षण कानून बनाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार निवेदन है–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 जज पीठ द्वारा दिनांक 16.9.1992 को इन्द्रा साहनी प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं होने के आदेश को अप्रभावी करने एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिको के हितों की रक्षा करने के लिए 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिनांक 17.6.1995 को संविधान में पदौन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नया अनुच्छेद 16(4ए) केन्द्र में रही पी.वी.नरसिम्हा राव सरकार ने जुडवाया।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 जज पीठ दिनांक 10.10.95 को वीर पाल सिंह चौहान प्रकरण, दिनांक 1.3.1996 को 3 जज पीठ द्वारा अजीतसिंह जानूजा प्रकरण में पदौन्नति में आरक्षण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली वरिष्ठता को रोके जाने के सम्बन्ध में स्थापित कैच–अप रूल को समाप्त करने के लिए केन्द्र में रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा दिनांक 4.1.2002 को 85 वां संविधान संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में पदौन्नति के साथ पारिणामिक वरिष्ठता दिये जाने का प्रावधान में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण दिये जाने का प्रावधान भीं दिनांक 17.6.1995 से कर दिया क्योंकि दिनांक 17.6.1995 से पूर्व तो पदौन्नति में मय परिणामिक वरिष्ठता आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों एवं

जनजातियों को दिया ही जा रहा था व इस दिनांक के पश्चात् दिनांक 4.1.2002 तक 77वें संविधान संशोधन के अनुसार पदौन्नति में आरक्षण दिये जाकर जो परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है, उसे बरकरार रखा जाकर इन आरक्षित वर्गो की हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

10. देश के अनेक राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के, वर्तमान में दिनांक 17.6.1995 से विद्यमान अनुच्छेद 16(4ए) व राज्यों के विभिन्न सेवा संवर्गो के नियमों की भिन्न–भिन्न रूप से व्याख्या कर 17 वर्षो से इन आरक्षित वर्गो के राजकीय कार्मिको की पदौन्नति में बाधाऐं खडी की जा रही है तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों आदि को अवमानना के प्रकरणों से अनावश्यक रूप से मुखातिब होने की स्थितियां पैदा की जा रही है।

11. चूंकि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां राष्ट्र की जनता में शामिल है तथा इन्द्रा साहनी प्रकरण में दिनांक 16.9.1992 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रमाणित माना है कि भारत की जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुदाय सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए रहें है तथा संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं 342 में अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित कर संविधान की अनुसूचियों में अनुसूचित कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में इन आरक्षित वर्गो को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4ए) में इन वर्गो को समानता के अधिकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों को छूट प्रदन कर रखी है।

12. बिन्दु सं. 1 से 4 में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यह आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भरोसे संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों को समय पर लाभ मिल सकें, का सुनिश्चय करने के लिए एक औार संविधान संशोधन लाकर आरक्षण कानून बनाया जावे। आरक्षण के प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान दिया जावें तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को राज्य सरकार की जनता के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने से रोका जा सकें। जब तक संविधान संशोधन की व्यवस्था उक्त संदर्भ में ना हो सकें तब तक संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश लाया जाकर तत्काल उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) को लागू करने में बाधाऐं खडी करने से रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियां व जनजातियां आज भी पिछडी हुई है किंचित लोग ही समाज की मुख्य धारा से जुडे है अतः देश में समानता व राष्ट्रीय अखण्डता के लिए आरक्षण जारी रखना आज भी महती आवश्यकता है। अतः विषयांकित निवेदन तत्काल स्वीकार किया जाकर संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) की पालना सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण में दिये गये निर्णय जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदौन्नति में आरक्षण दिये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान करने के लिए इन जातियों का पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता के सम्बन्ध में आंकडे एकत्रित करने की शर्त को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधरन लाया जावें क्योकि जिस तरह से सीधी भर्ती के लिए पृथक से संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 335 के अनुसार कोई आंकडे एकत्रित नहीं किये जाते है उसी प्रकार पदौन्नति भी एक प्रकार की भर्ती है और इसमें भी अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लोगों का सीधी भर्ती की वेतन श्रृंखला के बाद की उच्चतर वेतन श्रृंखलाओं में उनको देय आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना मात्र ही है।

भवदीय

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

1. श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
2. श्री सलमान खुर्शीद, माननीय विधि मंत्री, भारत सरकार
3. श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार
4. श्री नारायण स्वामी, माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग, भारत सरकार
5. श्री पी. एल. पूनियां, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार
6. श्री रामेश्वर लाल, माननीय राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
7. श्री नमोनारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार
8. माननीय सांसद महोदय, ————————————————————

जे.पी. विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

ई. आशा राम मीणा
महासचिव